धारा 4(1) ब

अकादमी का संरचनात्मक ढांचा, कृत्य एवं कर्तव्य

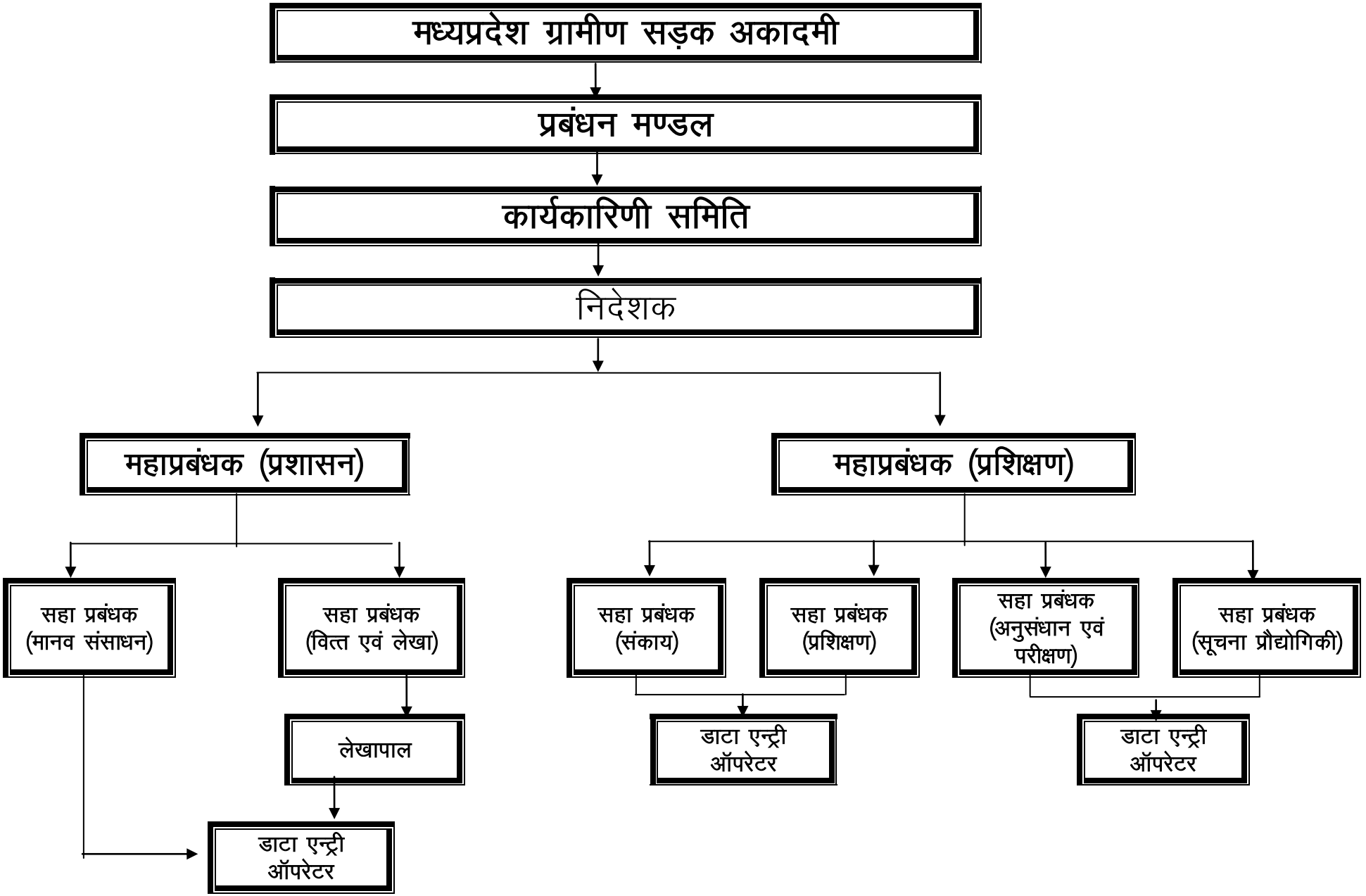
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी
प्रबंधन मण्डल
कार्यकारिणी समिति
निदेशक
महाप्रबंधक (प्रशासन)
महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)
सहा प्रबंधक (मानव संसाधन)
सहा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
सहा प्रबंधक (संकाय)
सहा प्रबंधक (प्रशिक्षण)
सहा प्रबंधक (अनुसंधान एवं परीक्षण)
सहा प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
लेखापाल
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी

उद्देश्यः–

1.1 प्रशिक्षण

- ग्रामीण सड़कों के निर्माण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं तकनीकी रूप से मजबूत सड़के बनाने हेतु ग्रामीण सडको के निर्माण कार्य में लगे हुए विभागीय अभियंताओं एवं ठेकेदारों के अभियंताओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना ।
- निर्मित ग्रामीण सडकों एवं अन्य परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामाग्रियों का उपयोग करते हुए कम लागत वाली सडकों के निर्माण को बढावा देने के लिए अनुसंधान कार्य करना।
- सूचना संचार कौशल के विकास हेतु आवश्यक प्रबंधन का प्रशिक्षण देना।
- उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यो हेतु विभिन्न क्षेत्रों के यॉत्रिकी अभियंताओं एवं पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित करना।
- ग्रामीण सड़कों के संधारण हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई से प्राप्त आंकड़ो पर अनुसंधान करना।
- वृहद पुलों के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं निर्माण संबंधी प्रशिक्षण।
- डामरीकृत एवं सीमेंटीकृत सडकों के रूपांकन एवं पर्यवेक्षण संबंधी प्रशिक्षण।
- डामरीकृत एवं सीमेंटीकृत सडकों के संधारण बाबत् मार्गदर्शन एवं संधारण की प्राथमिकताओं का निर्धारण।
- सडकों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री का परीक्षण।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं सडक सुरक्षा के उपाय।
- ठेके का व्यवस्थापन।
- आधुनिक तकनीक एवं सर्वे उपकरणों का उपयोग GIS/GPS और Total Station उपकरणों का प्रयोग।
- कार्यालय प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं कम्प्युटरी करण ।
- नवीन टेक्नॉलाजी यथा कोल्डमिक्स टेक्नॉलाजी, फ्लाईऐश द्वारा बिटुमिन सड़कों का निर्माण पर प्रशिक्षण।
- ग्रामीण सडकों के निर्माण से जुडें अभियंताओं का कौशल विकास करना।
- गुणवत्ता नियंत्रण एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामाग्रीयों के उपयोग पर अनुसंधान ।
- निर्माण कार्यों के निम्न गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के स्थाई समाधान निकालना।
- परिसंपत्तियों के रखरखाव का उचित प्रबंधन एवं प्रशिक्षण।

- निर्माण सामाग्रीयों का परीक्षण एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले सामाग्री से संबंधित स्थानों का चिन्हान्कन एवं उपलब्ध मात्रा का आंकलन करना।
- प्रशिक्षण हेतु बाहर से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था।

1.2 अनुसंधान :–

- स्थानीय आधार पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए कम लागत वाली सडकों का निर्माण करना।
- स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करते हुए मृदा स्थिरीकरण।
- स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों की पहचान, वर्गीकरण, परीक्षण तथा मैपिंग।
- निर्माण सामग्रियों के रूप में औद्योगिक कचरे (लावा, फ्लाई ऐस आदि)।
- भारी बारिश और शुष्क क्षेत्रों में सडकों का निर्माण तथा रखरखाव।
- पहाडी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क निर्माण तकनीक।
- क्रॉस ड्रेनेज संरचना डिज़ाइन (पूर्व–लागत वाली संरचनाओं को शामिल करते हुए)।
- पहाडी क्षेत्रों में ढाल स्थिरता में सुधार करने के लिए जैव अभियांत्रिकी उपाय सामग्रियों का पुनरावर्तन।
- ग्रामीण सडकों की परिसंपत्ति प्रबंधन।
- निर्माण तथा रखरखाव की श्रम आधारित पद्धति।
- पेवमेंट के अपकर्ष की दर का निर्धारण करने के लिए पेवमेंट प्रदर्शन अनुमान मॉडल।
- कम लागत, कटाव नियंत्रण तथा जल निकासी के उपाय।
- छोटी संरचनाओं (पुलियों) के लिए पूर्वनिर्मित तकनीक, तथा पूर्वनिर्मित साइड ड्रेन व्यवस्था ।
- ग्रामीण सडकों में समग्र निर्माण तकनीक ।
- दुर्घटना ब्लैक स्पॉट का विश्लेषण।
- स्थानीय निवासियों पर प्रभाव, उदाहरणतः जल निकासी विचलन के कारण आदि।
- पोर्टेबल व्हीकल या गतिशील उपकरण का उपयोग करते हुए अतिभारित वाहनों का सर्वे, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा वाहन परिचालन लागत विनिर्देशों का विश्लेषण करना।
- यातायात डेटा एकत्रीकरण, वर्गीकरण तथा ट्रैफिक पैटर्न और वृद्धि का विश्लेषण।

1.3 प्रबंधन मण्डल के कृत्यः– मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी के उद्देश्यों की प्राप्ति केलिए प्रबंधन मण्डल के लिए कृत्य निम्न अनुसार होंगें अर्थात

- प्रशिक्षणों एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के परिचालन हेतु आवश्यक समस्त गतिविधियां संपन्न कराना, वित्तीय व्यवस्था कराना, धन राशि उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु राज्य शासन के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आवश्यक नीति निरधारण करना एवं दिगदर्शन करना।
- ग्रामीण सड़कों के विकास से संबंधित शोध, अध्ययन, मूल्यांकन इत्यादि हाथ में लेना एवं उन्हें प्रोतसाहित करना।
- अकादमी के विकास योजनाओं को अनुमोदित करना जो कि आवश्यक हों और अनुमोदित विकास योजनाओं की वित्तीय विवक्षा करना।
- मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी सभा द्वारा विशिष्ट रूप से सोपें गये कृत्यों को संपन्न कराना।
- मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी से संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी समय – समय पर राज्य शासन एवं भारत सरकार को उपलबध कराना।

1.4 प्रबंधन मण्डल की शक्तियांः– प्रबंधन मण्डल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी।

- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं सवायत संस्थाओं के सहयोंग से अकादमी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिकार संपन्न प्रशासनिक ढांचा निर्मित करना।
- अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति, निर्देशक एवं अधिनस्त अमले को आवश्यक शक्तियां प्रत्यावर्तित करना।
- अकादमी द्वारा तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार कर अनुमोदित करना।
- ऐसे समस्त कार्यक्रम एवं गतिविधियां हाथ में लेना जो अकादमी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों।

1.5 कार्यकारिणी समिति के कृत्यः–

- ऐसे कृत्य संपादित करना जो अकादमी के उद्देश्यों के लिए प्रबंधन मण्डल द्वारा सोपें जोएं।